रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31102026-277565
CG-DL-E-31102026-277565

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5640] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 28, 2026/कार्तिक 6, 1948
No. 5640] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 28, 2026/KARTIKA 6, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5872(अ).— यतः भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अंतर्गत जारी भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. क्रमश: 3139 (अ) दिनांक 08.07.2022 और 3138 (अ) दिनांक 08.07.2022 द्वारा, केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 86 (नया एनएच-934) के किलोमीटर 3/8 से किलोमीटर 81 तक (सागर-हीरापुर खंड) और किमी 81.00 से किमी 189/4 (हीरापुर-छतरपुर मध्य प्रदेश/उत्तर प्रदेश सीमा तक) के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके बाद "प्राधिकरण" कहा गया है) को सौंपा है;

अब, इसलिए राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 तथा समय-समय पर संशोधित नियम (जिसे इसके बाद "नियम" कहा गया है) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और का.आ. 4683(अ) दिनांक 15.10.2025 द्वारा प्रकाशित मौजूदा राजपत्र अधिसूचना को अधिक्रमित करते हुए, केंद्र सरकार एतदद्वारा नीचे दी गई सारणी 1 के कॉलम (1) में निर्दिष्ट वाहन के प्रकार अनुसार, सागर-मोहरी-सतई घाट खंड के किमी 8.000 से किमी 89.875 तक के पेव्ड शोल्डर वाले चार लेन के उपयोग के लिए, 53.925 किमी की निवल सड़क खंड लंबाई [सारणी 1] और 3.50 किमी (0.350 किमी की लंबाई वाले

[सारणी 4]) के समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लंबाई वाले) (के लिए सारणी 1 के कॉलम (2) में निर्दिष्ट दर के 100% पर) और दस करोड़ रुपए या उससे अधिक की लागत वाले 27.60 किमी की लंबाई वाले बाईपासों [सारणी 2] के लिए आधार दर के डेढ़ गुणा पर शुल्क उद्ग्रहीत करती है और प्राधिकरण को अपने अधिकारियों अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क संग्रहण हेतु अधिकृत करती है, अर्थात्:-

सारणी-1	
वाहन का प्रकार	**आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी शुल्क की आधार दर (रुपए में)**
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्का मोटर वाहन	0.65
हल्का वाणिज्यिक वाहन, हल्का माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन-धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहु-धुरी वाले वाहन (एमएवी) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
वृहत आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत तहत देय और संदेय शुल्क निम्नलिखित निर्दिष्ट टोल प्लाजा(प्लाजाओं) के लिए निर्दिष्ट निवल सड़क लंबाई के लिए शुल्क प्लाजा पर देय और संदेय होगा, अर्थात्:

सारणी-2		
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	**लंबाई (किमी में) जिसके लिए शुल्क देय है**	**दर जिस पर शुल्क देय है**
मध्य प्रदेश के सागर जिले में कर्रापुर गांव के पास एनएच-934 के डिजाइन किमी 16.900 पर	53.925 किमी [बाईपास (लागत ≥10 करोड़ रुपए) की लंबाई और संरचना की लंबाई (>60 मीटर लंबाई) को छोड़कर]	चार या अधिक लेन के लिए उपरोक्त सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपरोक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर ऐसे शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए निर्दिष्ट निवल बाईपास लंबाई के लिए 10 करोड़ रुपए या उससे अधिक की लागत वाले बाईपास के उपयोग हेतु निम्नलिखित शुल्क देय और संदेय होगा:-

सारणी-3						
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	**बाईपास का नाम**	**जिस स्थान से आरंभ होगा**	**जिस स्थान पर मिलेगा**	**बाईपास की लंबाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क देय है** (संरचना की लंबाई >60 मीटर लंबाई को छोड़कर)		**दर जिस पर शुल्क देय है**
				लंबाई (किमी में)	**लागत (करोड़ रुपए में)**	
मध्य प्रदेश के सागर जिले में कर्रापुर गांव के पास एनएच-934 के डिजाइन किमी 16.900 पर	बांदा	डिजाइन किमी 24.680	डिजाइन किमी 35.150	10.470	59.679	चार या अधिक लेन के लिए उपरोक्त सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
	एनएच-934 (पुराना एनएच-34) का शाहगढ एवं हीरापुर बाईपास	डिजाइन किमी 65.300	डिजाइन किमी 82.700	17.130	151.93 करोड़	
कुल लंबाई				27.60		

3. उपरोक्त के अतिरिक्त, 60 मीटर से अधिक अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित संरचनाओं के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लंबाई को 10 के समीकरण कारक से गुणा करके संरचनाओं की लंबाई को राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में परिवर्तित करके शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर निम्नलिखित शुल्क देय और संदेय होगा:-

सारणी-4			
शुल्क का अवस्थान प्लाजा (चेनेज)	**संरचना की लंबाई (किमी में) जिसे समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित किया जाना है**	**समतुल्य सड़क लंबाई (किमी में)**	**दर जिस पर शुल्क देय है**
मध्य प्रदेश के सागर जिले में कर्रापुर गांव के पास एनएच-934 के डिजाइन किमी 16.900 पर स्थित टीपी	0.350^	3.50 किमी	चार या अधिक लेन के लिए, उपरोक्त सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

^ विवरण निम्नलिखित हैं-

सड़क लंबाई पर किमी में संरचना				
क्र.सं.	**चेनेज**		**संरचना का प्रकार**	**लंबाई (किमी में)**
	किमी से	**किमी तक**		
1	किमी 71.817	किमी 71.907	बड़ा पुल	0.090
2	किमी 80.900	किमी 81.080	बड़ा पुल	0.180
3	किमी 89.765	किमी 89.845	बड़ा पुल	0.080
			कुल	**0.350**

4. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर की दूरी के भीतर आवासित व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2026-27 के लिए रू.360 (रुपए तीन सौ साठ रुपए केवल) है और उक्त नियमों के प्रावधान के अनुसार यह प्रत्येक वर्ष संशोधन के अध्यधीन है।

5. राजमार्ग खंड पर बहू-यात्राओं के लिए, निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्:-

सारणी-5		
देय राशि	**अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या**	**वैधता की अवधि**
एक तरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुणा	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे।
पचास एकल यात्राओं के लिए देय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक महीना

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा अवस्थित है, वहां पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट धारी वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क, वाहन के उस श्रेणी के लिए निर्धारित दर का 50% होगा, बशर्ते ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड़ या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. किसी यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, जो उसके श्रेणी के लिए निर्दिष्ट अनुमेय भार से अधिक भारधारित है, शुल्क संग्रहण करने वाली एजेंसी को राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार धारित वाहन के प्रवेश के लिए उक्त नियम के नियम 10 में निर्दिष्ट शुल्क के समान शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके लिए अनुमेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड़, वैकल्पिक सड़क इत्यादि सहित सभी परिभाषाएं उक्त नियमों में निर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

9. उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क दरों को उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार प्रदर्शित किया जाएगा।

10. उपरोक्त सारणी-1 में उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से संग्राह्य शुल्क की वास्तविक राशि और छूट की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूर्ण लंबाई के आधार पर की जाएगी तथा उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित की जाएगी और इसे अंग्रेजी एवं स्थानीय भाषा के कम से कम एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 1348.72 करोड़ रुपए है। [परियोजना की पूंजीगत लागत परिवर्तनाधीन है क्योंकि भूमि अधिग्रहण गतिविधियों से संबंधित लागत, परियोजना सिविल लागत भविष्य में परियोजना के पूरा होने तक भिन्न हो सकती है। प्राधिकरण संग्रहीत उपयोगकर्ता शुल्क के माध्यम से पूंजीगत लागत के संग्रहण का रिकॉर्ड रखेगा।

[फा. सं. एमपीडीआईवी-20013/18/2026-पीआईयू छतरपुर/ई-267699]

चेतना नन्द सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2026

S.O. 5872(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number 3138 (E) dated 08.07.2022 and 3139 (E), dated 08.07.2022 and issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 3.8 to kilometer 81.00 (Sagar-Hirapur Section) and 81.00 to Km. 189.4 (Hirapur-Chhatarpur upto MP/UP Border) of National Highway Number 86 (New NH-934) in the State of Madhya Pradesh to the National Highway Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highway Fee (Determination of Rates and Collection) Rule, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the "rules") and in supersession of existing Gazette notification published vide S.O. 4683(E) dated 15.10.2025, the Central Government hereby levies the fee at the 100% of rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 53.925 km [Table 1] and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 3.50 km (having length of 0.350 km [Table 4]) and at one and one half times the base rate for bypasses having length of 27.60 kms [Table 2] costing rupees ten crore or more on the type of vehicle specified in column (1) of the Table 1 below for the use of four lane with paved shoulder of section Sagar- Mohari - Satai Ghat from Km 8.000 to Km 89.875 of NH-86 (New NH-934) and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles) .	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Toll Plaza(s) namely:

Table-2

Location of Fee Plaza (Chainage)	**Length (in km) for which fee is payable**	**Rate at which fee is payable**
At design Km. 16.900 of NH- 934 Near village Karrapur in Sagar District of Madhya Pradesh	53.925 Km. [Excluding length of Bypass (costing≥ Rs.10 Cr.) and length of structure (> 60m length)]	100% of the base rates mentioned in Table-1 above for four or more lane

2. In addition to above, the following fee shall be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza(s) :-

Table-3						
Location of Fee Plaza (Chainage)	**Name of the Bypass**	**Taking Off**	**Merging at**	**Length and Cost of bypass for which additional fee is payable** (Excluding length of structure > 60m length)		**Rate at which fee is payable**
				Length (in Km.)	**Cost (in Rs. Crore)**	
At design Km. 16.900 of NH- 934 Near village Karrapur in Sagar District of Madhya Pradesh	Banda	Design Km. 24.680	Design Km. 35.150	10.470	59.679	150% of the base rates mentioned in Table-1 above for four or more lane
	Shahgarh & Hirapur Bypass of NH-934 (Old NH-34)	Design Km. 65.300	Design Km. 82.700	17.130	151.93 Cr	
Total length				27.60		

3. In addition to above, the following fee shall be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10:-

Table-4			
Location of Fee Plaza (Chainage)	**Length of Structure (in km) to be converted into equivalent road length**	**Equivalent road length (in km)**	**Rate at which fee is payable**
TP located at design Km. 16.900 of NH-934 Near village Karrapur in Sagar District of Madhya Pradesh	0.350^	3.50	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

^The details are as under –

Structure on Road Length in Kms.				
S. No.	**Chainage**		**Type of Structure**	**Length (in km)**
	From Km	**To Km**		
1	Km 71.817	Km 71.907	Major Bridge	0.090
2	Km 80.900	Km 81.080	Major Bridge	0.180
3	Km 89.765	Km 89.845	Major Bridge	0.080
Total				**0.350**

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance to twenty kilometers from the fee plaza is Rs. 360 (Rupees Three Hundred and Sixty Only) for the year 2026-27 and is subject to revision every year as per the provision of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:-

Table-5

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty-four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in rule 10 of the said rules.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said Rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

10. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 1348.72 cr,. The Capital Cost of the project is subjected to variation as the Cost pertaining to Land Acquisition Activities, Project Civil Cost may vary in future till completion of the project. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. MPDIV-20013/18/2026-PIU Chhatarpur/E-267699]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.11.21 15:49:06 +05'30'